<u>न्यायालयः सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम० जलेसर, एटा।</u>
उपस्थित : श्री मोहित कुमार (J.O. CODE- UP 4823) उ०प्र० न्यायिक सेवा
दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या– 109/2026
देवेन्द्र सिंह **बनाम** रामनाथ आदि

धारा 173(4) बी०एन०एस०एस०
थाना–अवागढ़, जिला एटा

<u>14.07.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर आवेदक मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० पर सुना गया। पत्रावली उक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु नियत है।

<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस०</u>

आवेदक की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन० एस०एस० इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री पोपसिंह निवासी– ग्राम कुसवा थाना–अवागढ़ जिला एटा का निवासी है। प्रार्थी के सगे बड़े भाई रामनाथ पुत्र पोपसिंह से जमीन बंटवारे का विवाद चल रहा है। दिनांक 30.06.2026 को शाम 7:00 बजे उपरोक्त रामनाथ दबंगई दिखाते हुये मय अपनी पत्नी मिथलेश देवी व अपने दोनों लड़के प्रबल व सुशील के साथ एक राय होकर अपने हाथों में लाठी डण्डा लेकर प्रार्थी के घर में घुस आये और गाली गलौज करते हुये आमादा फसाद होकर प्रार्थी के साथ घर के अन्दर ही लाठी डण्डों से मारपीट शुरू कर दी। सभी ने मिलकर प्रार्थी को जमीन पर गिरा लिया और उपरोक्त रामनाथ ने अपने पुत्र प्रबल से कहा कि साले को मारकर रट्टा ही खत्म कर देते हैं यह कहकर रामनाथ ने अपने दोनों हाथों से प्रार्थी का गला दबाना शुरू कर दिया और प्रबल ने अपनी कमर से बंधा निकालकर प्रार्थी के गले में डालकर प्रार्थी को जान से मारने की नीयत से अंगौछा खींचते हुये प्रार्थी के गले को दबाया जिससे प्रार्थी की जीभ बाहर निकल आयी और प्रार्थी अर्द्धमूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा, मौके पर प्रार्थी की पत्नी शीलू यादव व पुत्री कु० कनक प्रार्थी को बचाने आयीं तो उनके साथ भी उपरोक्त लोगों ने मारपीट की जिससे उनके भी चोटें आयीं हैं मौके पर चीखपुकार की आवाज सुनकर गाँव के काफी लोग इकट्ठे हो गये। प्रार्थी को मरा जान कर उपरोक्त सभी लोग मौके से भाग गये। प्रार्थी ने अपने फोन से 112 नं० पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके की वीडियो एवं फोटो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। प्रार्थी घटना की रिपोर्ट लिखाने थाना अवागढ़ गया तो राजनैतिक दबाव में प्रार्थी के विरूद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0–127/2026, धारा–333, 115(2),352,351(2) बी०एन०एस० के तहत उपरोक्त रामनाथ ने अपनी पत्नी की तरफ से मुकदमा कायम करा दिया और प्रार्थी की रिपोर्ट थाना पुलिस द्वारा दर्ज नहीं की गयी और न ही थाना पुलिस द्वारा प्रार्थी की चोटों का डॉक्टरी परीक्षण कराया गया। तब प्रार्थी ने एटा आकर दिनांक–01.07.2026 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय एटा को वजरिये रजिस्टर्ड डाक शिकायती प्रार्थना पत्र भेजा और राजकीय

चिकित्सा महाविद्यालय एटा में शरीर में आयीं चोटों का डॉक्टरी परीक्षण कराया। रजिस्ट्री रसीद एवं डॉक्टरी परीक्षण की रिपोर्ट की प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय एटा को भेजे गये शिकायती प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही न होने पर प्रार्थी श्रीमान जी के समक्ष कानूनी कार्यवाही हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है।

आवेदक की ओर से अपने कथनों के समर्थन में स्वंय का शपथ पत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रेषित प्रार्थना पत्र मय रजिस्ट्री,मैडीकल प्रपत्र, घटना से संबंधित फोटोग्राफ, विपक्षीगण द्वारा दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति एवं आधार कार्ड की छायाप्रति पत्रावली पर दाखिल की गई है।

आवेदक के प्रार्थना पत्र पर थाने से आख्या तलब की गयी। थाने की आख्या के अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित घटना के सम्बन्ध में थाना पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है। न्यायालय मतानुसार मामले के सभी तथ्य आवेदक एवं गवाहों की जानकारी में हैं। कोई भी ऐसा साक्ष्य संकलित नहीं किया जाना है जो मात्र विवेचना से ही संकलित किया जा सके। मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तुत मामले को परिवाद के रूप में पंजीकृत कर, इस न्यायालय द्वारा स्वंय जाँच किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–<u>आदेश</u>–

अतः प्रकरण परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। प्रदीप अग्रवाल बनाम उ०प्र० राज्य (प्रार्थना पत्र 482 दं०प्र०सं० 10390/2024 में पारित आदेश दिनांकित 26.11.2024) में दी गयी विधिव्यवस्था के आलोक में विपक्षीगण की आपत्ति आने से पूर्व परिवादी व उसके साक्षीगण के बयान अंकित कराये जाने आवश्यक है। अतः ऐसे में पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा 223 बीएनएनएस दिनांक 14.08.2026 को पेश हो।

(मोहित कुमार)
सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०
जलेसर, एटा।
(J.O. CODE- UP 4823)

दिनांक 14.07.2026